न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 125/2022/अपील/एलआरएक्ट/कोटा

दायरा दिनांक 11.05.2022

अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. प्रभुलाल पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी गांव मूण्डली तहसील पीपल्दा जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान –
   1/1. प्रेमचंद पुत्र स्व0 प्रभुलाल
   1/2. रामप्यारी पुत्री स्व0 प्रभुलाल
   1/3. छोटी बाई पत्नी स्व० प्रभूलाल
   जाति मीणा निवासीगण ग्राम मूण्डली तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. कन्हैयालाल पुत्र जीवन जाति मीणा
3. नन्द बिहारी पुत्र जीवन जाति मीणा
4. नट्टी बाई बेवा जीवन जाति मीणा
5. कुलदीप पुत्र स्व० मोहन लाल जाति मीणा
6. ममता बाई पत्नी स्व० मोहनलाल जाति मीणा
   निवासीगण ग्राम कोटाखुर्द तहसील के० पाटन जिला बून्दी
7. प्रकाश पुत्र स्व० लक्ष्मीनारायण जाति मीणा
8. प्रहलाद पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण जाति मीणा
9. राधेश्याम पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण जाति मीना
10. भूली बाई पत्नी रामस्वरूप
11. जुगल किशोर पुत्र रामस्वरूप
12. मुकेश पुत्र रामस्वरूप
    निवासीगण ग्राम मूण्डली तहसील पीपल्दा जिला कोटा

.....अपीलांट्स

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रघुनाथ जाति मीना
2. गुड्डी बाई पुत्री रघुनाथ जाति मीणा
3. गायत्री पुत्री रघुनाथ जाति मीणा
4. बादाम बाई पत्नी रघुनाथ जाति मीणा
5. भगवती पुत्री रघुनाथ जाति मीणा
   निवासीगण ग्राम मूण्डली तहसील पीपल्दा जिला कोटा
6. तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा–राज०

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रघुवीर सिंह राठौड़, अभिभाषक – अपीलांट
श्री मायाराम स्वामी, अभिभाषक – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 06.08.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 71/06 बउनवान रघुनाथ बनाम कन्हैयालाल वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2008 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 03.03.2009 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थी रघुनाथ के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र निर्णय दिनांक 18.09.2008 से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खाते में ग्राम मूंडली के खसरा सं0 297 रकबा 1.01 है0, खसरा सं0 301 रकबा 0.84 है0, खसरा सं0 574 रकबा 0.08 है0, खसरा सं0 606 रकबा 1.64 है0, खसरा सं0 702 रकबा 1.48 है0, खसरा सं0 703 रकबा 0.35 है0 एवं खसरा सं0 396 रकबा 1.51 है0 कुल किता 7 रकबा 6.91 है0 तथा अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 के खाते में खसरा सं 603 रकबा 1.03 है0, खसरा सं0 604 रकबा 0.36 है0, खसरा सं0 605 रकबा 0.29, खसरा सं0 700 रकबा 0.67 है0, खसरा सं0 701 रकबा 1.83 है0, खसरा सं0 296 रकबा 1.45 है0, खसरा सं0 302 रकबा 0.87 है0, खसरा सं0 413 रकबा 0.29 है0 कुल किता 8 रकबा 6.79 है0 भूमि दर्ज खाता किये जाने तथा प्रार्थी को खसरा सं0 396 रकबा 1.51 है0 भूमि खसरा सं0 703 की दक्षिणी मेड के पास लगी हुई दी जाने का आदेश पारित किया गया।

इसके उपरांत संशोधित निर्णय दिनांक 03.03.2009 से प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र 152 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को खसरा सं0 696 रकबा 1.51 है0 भूमि खसरा सं0 703 की दक्षिणी मेड के पास लगी हुई दिये जाकर तदनुसार राजस्व अभिलेख में तरमीम करने का आदेश पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.09.2008 एवं संशोधित आदेश दिनांक 03.03.2009 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश कर कथन किया कि रेस्पोन्डेंटस के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. 1956 के तहत माननीय अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत

किया था कि रेस्पो० एवं अपीलांट के दादा जीवन लाल के पिता श्री गोपाल भाई थे। जिनके शामलाती खाता संख्या 53 में वाके ग्राम मूण्डली में 5 किता खसरा नम्बर 142 की रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 294 की रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 396 की रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 412 की रकबा 57 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 338/452 की रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा कुल 90 बीघा 3 बिस्वा में रेस्पोन्डेंट का 1/2 एवं अपीलांट्स का 1/2 हिस्सा दर्ज खाता था, जिसमें से जरिए नामांतरकरण नम्बर 52 से खसरा नम्बर 412 की रकबा 57 बीघा 19 बिस्वा में से 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि नहरी विभाग के खाते दर्ज होने से पक्षकारान के खाते में खसरा नम्बर 419 का रकबा 53 बीघा 9 बिस्वा रह जाने से कुल 5 किता 85 बीघा 13 बिस्वा रह गई। अपीलाट व रेस्पो. ने उक्त आराजी का बटवारा कर लिया तथा जरिए नामांतरकरण 119 से खाता नम्बर 104 में रेस्पो० के खाते में खसरा नम्बर 294 की रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 396 की रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 412 की रकबा 26 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 452/338 की रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, कुल 4 किता की रकबा 43 बीघा 4 बिस्वा भूमि तन्हा खाते दर्ज हो गई। इस प्रकार जरिए नामांतरकरण 168 से खाता नम्बर 107 में अपीलांट के खाते में खसरा नम्बर 142 की 1 बीघा 19 बिस्वा खसरा नम्बर 396 की रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 412 की 23 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 3 रकबा की 42 बीघा 9 बिस्वा खाते में दर्ज हुआ। जिस पर अपीलाट व रेस्पो० काबिज काश्त रहे किन्तु 2 बड़े खेत खसरा नम्बर 396 एवं 412 रेस्पो. एवं अपीलांट के हिस्से में जो भूमि बताई है उसमें रेस्पो० के हिस्से में खसरा नम्बर 396 की रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा तथा 13 बीघा 15 बिस्वा पश्चिम की तरफ का एवं 396 की पूर्वी मेढ से लगा हुआ आया था। खसरा नम्बर 412 की 53 बीघा 19 बिस्वा में 26 बीघा 14 बिस्वा नहर के उत्तर एवं दक्षिण की तरफ पूर्व का हिस्सा आया था परंतु अपीलांट के हिस्से में खसरा नम्बर 391 का रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा में से 13 बीघा 15 बिस्वा पूरब की तरफ जिसके पश्चिम में रेस्पो० के हिस्से की भूमि है, आया था तथा खसरा नम्बर 412 का 53 बीघा 19 बिस्वा में से 26 बीघा 15 बिस्वा नहर के उत्तर एवं दक्षिण में पश्चिम की तरफ रेस्पो० के हिस्से में आई परंतु सेटलमेंट के दौरान खसरा नम्बर 114 में रेस्पो0 के खाते में खसरा नम्बर 297 की रकबा 1.0 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 309 की रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 574 की रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 603 की रकबा 1.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 304 की रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 605 की रकबा 0.79 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 700 की रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 601 की रकबा 1.80 हैक्टेयर कुल 8 किता 6.11 हैक्टेयर दर्ज खाता कर रकबे में 0.80 हैक्टेयर की कमी कर दी गई। तथा खसरा नम्बर 603, 604, 605, 700,

16-8-2025

701 गलत खाते दर्ज की, जिस पर वास्तविक कब्जा अपीलांट का है। जिन्हे रेस्पो० के खाते से दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। साथ ही रेस्पो० के खाते में 1.80 हैक्टेयर कम दर्ज की गई है जिसे प्रार्थी पेमाईश मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलाट व सरकार से करवाकर रकबा पूर्ति करवाने का अधिकारी है। जिस पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 एल आर एक्ट के तहत रेस्पो० की कुल रकबा 6.69 हैक्टेयर की पूर्ति की जाकर निर्णय दिनांक 18.09.2008 एवं संशोधित आदेश दिनांक 3.3.2009 पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनाक 18.09.2008 एवं संशोधित आदेश दिनांक 3.3.2009 आरबीट्रेरी, केप्रिसियस, परवर्स होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के विरूद्ध जाकर धारा 136 एल आरएक्ट में अपीलांट की खातेदारी को निरस्त किया है। धारा 136 एल आर एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी प्रकार लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त करने के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाता है। जबकि उक्त आक्षेपित निर्णय में माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाट के खातेदारी की भूमि को रेस्पो० के खाते में दर्ज कर दिया है, जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था। अपीलांट को जो नोटिस जारी किए गए थे, उसके तहत अपीलाट माननीय अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुए थे परंतु उन्हें माननीय अधीनस्थ न्यायालय में यह कहते हुए भेज दिया कि उक्त प्रकरण में लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त कराना है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त ना करते हुए अपीलांट के खातेदारी एवं काबिज काश्त की भूमि को धारा 136 एल आरएक्ट की कार्यवाही में रेस्पो० के खातेदारी में दर्ज कर दिया है। जबकि खातेदारों के मध्य विवाद होने तथा रकबे में कर्मी पूर्ति की रिलीफ के लिए सक्षम न्यायालय में नियिमत वाद पस्तुत करना चाहिए था। परंतु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 एल आर एक्ट की कार्यवाही में लिपिकीय त्रुटि को ठीक ना करते हुए खातेदारी दर्ज कर दी है। अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी तब हुई जब रेस्पो० के द्वारा सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा के समक्ष एक वाद बाबत 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 22.7.2021 को न्यायालय में पेश किया जिसके नोटिस अपीलांट नम्बर 1 व उसके पुत्र प्रेमचंद को दिनांक 18.10.2021 को प्राप्त हुए। अपीलांट ने निर्णय दिनांक 18.09.2008 एवं संशोधित आदेश दिनांक 3.3.2009 की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन दिनांक 27.10.2021 को प्रस्तुत किया, जिस पर नकल की प्रमाणित प्रति दिनाक 06.12.2021 को प्राप्त हुई। इस प्रकार जानकारी की दिनाक 18.10.2021 से अवधि मध्य मानते हुए अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन करते हुए अपील पर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाट को कोई सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं

6-8-2025
संभागीय आयुक्त
कोटा

दिया है तथा उक्त निर्णय दिनाक 18.09.2008 एवं सशोधित आदेश दिनांक 3.3.2009 अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, जो अपास्त किए जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यो पर कोई गौर नही कर उपरोक्त निर्णय दिनांक 18.09.2008 एवं सशोधित आदेश दिनांक 3.3.2009 पारित किया जो निरस्तनीय है। अतः अपील के पेश करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 निर्णित किया गया तथा इसके उपरांत ही संशोधन करते हुए पुनः बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही निर्णय पारित कर दिया गया। जबकि सेटलमेंट के दौरान रकबा उभयपक्षकारान का कम हुआ है, इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट के विरूद्ध exparty order कर दिया। साथ ही सेटलमेंट की दुरूस्ती के नाम पर किसी की जमीन बिना उसकी स्वीकृति के नहीं ली जा सकती। अपीलाधीन निर्णय वर्ष 2008 का है, लेकिन वर्ष 2021 में धारा 183 आरटीएक्ट के अन्तर्गत रेस्पो0 के द्वारा दावा अपीलांट के विरूद्ध पेश किये जाने पर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु पर उदारता पूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए पक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। इस हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई कर पुनः निर्णय किये जाने बाबत् रिमाण्ड किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2011 (1) Page No. 602, RRT 2018 (1) Page No. 601, RRT 2022 (1) Page No. 493, RRT 2001 (1) Page No. 244, RRT 2018 (1) Page No. 292, RRT 2021 (2) Page No. 1016, RRT 2022 (1) Page No. 35** पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, दस्तावेजात अवलोकन कर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट के द्वारा अपीलाधीन निर्णय के 13 वर्ष पश्चात् दिनांक 27.04.2022 को अपील अत्यधिक विलम्ब से पेश की गई है। साथ ही अपील पेश करने के उपरांत भी दिनांक 14.07.2022 को मियाद का प्रार्थना–पत्र पेश

अति. आयुक्त
कोटा

किया गया। अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो में कथन किया है कि उसे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी रेस्पो0 के द्वारा सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा के समक्ष एक वाद बाबत् धारा 188, 183 आरटीएक्ट में पेश करने पर दिनांक 18.10.2021 को नोटिस प्राप्त होने पर जानकारी हुयी। इसके उपरांत भी माननीय न्यायालय के समक्ष अपील 5 माह बाद पेश की गई तथा धारा – 5 मियाद अधिनियम उसके भी 3 माह पश्चात् पेश किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट का माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में उदासीनता और लापरवाही बरती गई है। जिसमें उदारतापूर्ण दृष्टिकोण नहीं रखा जा सकता है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक उद्धरण **RRT 2017(1) Page No. 117, 2009(1) RRT Page No. 549, 2018(1) RRT 188 Page No. 188, RRT 2018-19(Supp.) Page No. 73** पेश किये।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा द्वारा प्रकरण संख्या 71/06 बउनवान रघुनाथ बनाम कन्हैयालाल वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2008 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 03.03.2009 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील दिनांक 27.04.2022 को पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा 13 वर्ष उपरांत अपील अत्यधिक विलम्ब से पेश की गई है। प्रभुलाल एवं अन्य अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार थे। अपीलांट क्र. 1 एवं अन्य अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में मौजूद हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी से होती हैं। यहां यह उल्लेख किया जाना भी समीचीन होगा कि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील मीमो में अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय की जानकारी रेस्पो0 के द्वारा सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा के समक्ष एक वाद बाबत् धारा 188, 183 आरटीएक्ट में पेश करने पर दिनांक 18.10.2021 को नोटिस प्राप्त होने पर होना बताया गया। साथ ही अपील के प्रस्तुतीकरण के 3 माह उपरांत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया तथा वर्णित किया गया कि प्रार्थीगण/अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं रही, किंतु अप्रार्थीगण/रेस्पो0 के द्वारा मौके पर आकर जबरन कृषि कार्य करने पर दिनांक 22.04.2022 से जानकारी हुई। इस प्रकार अपीलांट द्वारा धारा 5 प्रार्थना–पत्र में वर्णितानुसार अपील के 13 वर्ष विलम्ब का उचित एवं संतोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। जबकि अपील मियाद के बिन्दु पर स्वीकार किये जाने से पूर्व कानूनन विलम्ब का दिन–प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है। आर.आर.डी. 14.09.2019

पृष्ठ संख्या 549 में प्रतिपादित है कि *An unlimited limitation would lead to a sense of insecurity and uncertainity and therefore, limitation, prevents disturbance or deprivation of what may have been acquired in equity and justice by long enjoyment or what may have been lost by a parties on in action, negligence or laches.* इसी प्रकार रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आर.आर.टी. 2017(1) पृष्ठ 117 में भी प्रतिपादित किया गया है कि *Liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory & otiose- No sufficient cause to explain the delay – held , application & appeal are liable to be dismissed.* इस प्रकार अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब का कोई युक्तियुक्त एवं संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। ऐसे में हस्तगत अपील में मियाद कण्डोन करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। लिहाजा हस्तगत प्रकरण में कोई हस्तक्षेप की गुंजाइश प्रकट नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट अवधि बाधित होने से इस स्टेज पर मियाद के बिन्दु पर ही अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

6-8-2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा